

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jiwajidcdc@gmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक: एफ/सम्बद्धता/2021/8316

दिनांक : 03-08-2021

## अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 (i) (v) एवं 24 (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2021 की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05 मई 2021 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार VIDYA VAHINI SHIKSHA MAHAVIDYALAY, BHIND को सत्र 2021-22 के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

|   |       |    |
|---|-------|----|
| VIDYA VAHINI SHIKSHA<br>MAHAVIDYALAY, BHIND | B.ED. | 50 |
|---|-------|----|

आदेशानुसार

कुलसचिव

नोटिस:-

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
- उक्त कार्यवाही 30 दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करें, अन्यथा सत्र 2022-23 की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।
- शिक्षकों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
- परिनियम 27 की कंडिका (2) के अनुसार जिन महाविद्यालय को प्रारंभ हुए 6 साल हो चुके हैं। उन्हें नैक से एक्रिडिटेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सत्र 2022-23 के लिए सम्बद्धता प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी सत्र में निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ दिये गये प्रोफार्मा में मय चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंट द्वारा नियुक्ति शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्मा में भर कर प्रस्तुत करनी होगी तभी महाविद्यालय को आगामी सत्र की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

1. प्राचार्य, VIDYA VAHINI SHIKSHA MAHAVIDYALAY, BHIND
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डायरेक्टर,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्